

**राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग**

क्रमांक:- प.6(55)परि/कर/मु./ 87/ 4105

जयपुर, दिनांक: 02-3-16

कार्यालय आदेश...3/2016

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 5/98, 22/98, 68/2003, 20/2005, 9/2007, 3/08, 4/09, 7/10, 3/2011, 02/2012 एवं 5/2013 द्वारा समय-समय पर समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/कराधान अधिकारियों को निर्देशित किया जाता रहा है कि जो वाहन जिस जिले में पंजीकृत है/फिटनेस ले रहे हैं/कर खाता खुला हुआ है अथवा वाहन के पंजीयन के पश्चात् किसी अन्य जिले में हस्तान्तरण हो चुका है जिसका इन्द्राज वाहन की पंजीयन पुस्तिका में है उन्हें कर भुगतान हेतु निर्धारित तिथि तक उसी जिले में स्वतः कर जमा कराने का अवसर दिया जावे। वाहनों के द्वारा निर्धारित तिथि तक संबंधित कराधान अधिकारी के पास स्वतः कर नहीं जमा कराने पर किसी भी जिले में सक्षम अधिकारी द्वारा बकाया राशि मय शास्ति एवं प्रशमन राशि के वसूल की जावे।

परन्तु इस संबंध में बार-बार निर्देशित किये जाने के बाद भी ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कई परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक अपने लक्ष्य पूर्ति हेतु अन्य जिलों में पंजीकृत तथा फिटनेस लेने वाले वाहनों, विशेषकर भार वाहनों से निर्धारित देय तिथि से पूर्व ही कर वसूल लेते हैं जिससे राजस्व संग्रहण पंजिका के संधारण तथा वाहन स्वामी को कर का सत्यापन देने एवं एम टी सी IV जारी करने में समस्या आती है।

अतः यह पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों तथा पूर्व में इस संबंध में जारी समस्त कार्यालय आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा उनके द्वारा अन्य जिलों में देय कर की वसूली निर्धारित तिथि से पूर्व करने पर यह राशि उन्हें आवंटित लक्ष्य का भाग नहीं मानी जावेगी।

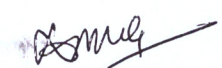
(पवन कुमार गोयल)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक:- प.6(55)परि/कर/मु./ 87/ 4106-12

जयपुर, दिनांक: 02-3-16

प्रतिलिपि:- निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय, परिवहन विभाग, जयपुर।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. समस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र राजस्थान।
6. सिस्टम एनालिस्ट परिवहन विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपडेट करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


अपर परिवहन आयुक्त (कर)